न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी, श्रीमती कंचन राठौड़ आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 45/2022
जीसीएमएस सं. – 2022/69

प्रार्थीगण :–
1. खिंयाराम पुत्र धनाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र धनाराम
3. मीमी पत्नि धनाराम
जातियान जाट निवासीगण भुण्डाणा
तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. कलाराम पुत्र हीराराम
2. धेंवरराम पुत्र तेजाराम
3. जोगाराम पुत्र तेजाराम
4. दुर्गाराम पुत्र अर्जुनराम
सभी जातियान जाट निवासीगण भुण्डाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सालवा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
6. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रार्थीगण की ओर से
श्री राजेन्द देवड़ा अप्रार्थी सं. 2 से 4
श्री बक्तावर सिंह जाखड़ अप्रार्थी सं. 1
अप्रार्थी तहसीलदार स्वयं

निर्णय

दिनांक : 06.11.2023

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भुण्डाणा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 211 क्षेत्रफल 2.2248 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 216 क्षेत्रफल 21762 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 218 क्षेत्रफल 1.2540 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 218, 216, 211 में आने जाने हेतु कदीमी रास्ता ग्राम भुण्डाणा से ग्राम कुड़ी की कॉकड तक जाने वाले कट्टाणी रास्ता चिपते पश्चिम में स्थित खसरा नम्बर 220 की दक्षिणी सीमा में से होता हुआ कदीमी रास्ता आगे खसरा नंबर 219 की दक्षिणी सीमा से होता हुआ कदीमी रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 218 तक पीढियों से चलता आया है। जिस कदीमी रास्ता की चौड़ाई करीब 25 फुट है। उक्त कदमी रास्ते को संलग्न नजरी नक्शे मे लाल स्याही के मध्य मार्क अ से ब दर्शाया गया है, जिस कदमी रास्ते को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त रास्ता के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। जिस नजरी नक्शे को प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग माना जायें। खसरा नम्बर 211, 216, 217, 218, 219,

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

220 वाली कृषि भूमियों पूर्व में तेजाराम हीराराम, पीथाराम पी० कानाराम की संयुक्त खातेदारी भूमियां रही है। तीनो भाईयों ने उक्त भूमियों का आपसी सहमती से बटवाड़ा कर लिया खसरा नम्बर 220 अप्रार्थी संख्या एक के पिता हीराराम पुत्र कानाराम के बन्ट में रखा गया, खसरा नम्बर 211, 216, 218, पीथाराम पुत्र कानाराम के बन्ट में रखे गये, पीथाराम पुत्र कानाराम का पुत्र धन्नाराम पुत्र पीथाराम है। धन्नाराम के वारिसान प्रार्थीगण है। खसरा नम्बर 217 व 219 तेजाराम पुत्र कानाराम के बन्ट में रखा गया तेजाराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या दो से चार है। वादग्रस्त रास्ता शुरू से ही विद्यमान रहा है वादग्रस्त रास्ते का उपयोग तेजाराम, हीराराम, पीथाराम पी. कानाराम तीनो भाई करते थे उनके पश्चात् उनके वारिसान वादग्रस्त रास्ते का आवागमन हेतु उपयोग उपभोग कर रहे है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। एक मात्र वादग्रस्त रास्ता ही है। प्रार्थीगण के खेत ख0न0 211, 216 व 218 में आने जाने का एकमात्र कदीमी रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही है अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु पीढ़ीयों से वादग्रस्त कदीमी रास्ता का उपयोग व उपभोग प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के पूर्वज करते आये है। वादग्रस्त रास्ता से होकर ट्रेक्टर ट्रोली, बेल छकड़ा, वाहन, पशुधन इत्यादि प्रार्थीगण लाते ले जाते रहे है एंव अपने खेत पर काश्त कार्य करते आये है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने हेतु एंव आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के आवागमन हेतु पीढ़ीयों से उपयोग उपभोग में आता रहा है। वादग्रस्त रास्ता की प्रार्थीगण को अत्यांन्तिक आवश्यकता है। इसलिए वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित किया जावें। अप्रार्थी संख्या एक से चार ने दिनांक 25.03.2022 को प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगें जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से चार व उनके हितबद्ध लोगों से समझाइश की एंव निवेदन किया कि वादग्रस्त रास्ता पीढ़ीयों से चलित कदीमी रास्ता रहा है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने व आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। आप लोग कदमी रास्ता अवरूद्ध मत करों लेकिन अप्रार्थी संख्या एक से चार एवं उनके हितबद्ध लोग नहीं माने एवं जोर जबरदस्ती कदमी रास्ता को बन्द करने की एलानिया धमकी दी जबकि अप्रार्थी संख्या एक से चार को एवं उनके हितबन्द लोगों को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक मे है क्योंकि वादग्रस्त रास्ता प्रार्थीगण के खेतों मे आने जाने हेतु एकमात्र कदीमी रास्ता पीढीयों से विद्यमान रहा है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अगर अप्रार्थी संख्या एक से चार ने वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बन्द कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं आंका जा सकेगा एंव प्रार्थीगण अपने खेतों

उप अधिकारी
नाड़ शहर

में काश्त से वंचित रह जायेंगे। प्रार्थीगण लाल स्याही के मध्य दर्शाये वादग्रस्त रास्ता जो ख0न0 220,219, की भूमि में स्थित है उक्त कदीमी रास्ता को रास्ता घोषित करवाने के अधिकारी है। उक्त रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु तैयार है। वादग्रस्त रास्ता को राजस्व रकर्ड में रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जायें एवं नक्शे मे तरमीम किया जावें। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि प्रार्थीगण के खेत ख0न0 211, 216, 218 में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता संलग्न नक्शे में दर्शाये मार्क अ से ब को रास्ता घोषित फरमाया जावे व राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें एवं नक्शे में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीगण हो प्रार्थीगण के पक्ष में अता फरमायें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से वकील राजेन्द्र देवड़ा ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या एक से चार के खेत पुश्तैनी आये हुए हैं। खेतों पर आने जाने हेतु पीढीयों से वादग्रस्त रास्ता रखा हुआ है। वादग्रस्त रास्ता खसरा नंबर 220 व 219 की दक्षिणी सीमा में विद्यमान है वादग्रस्त रास्ता करीब 25 फिट चौडाई में है। अप्रार्थी संख्या दो से चार के खेत खसरा नंबर 219 में चलित वादग्रस्त रास्ता पीढीयों से चल रहा है। वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित फरमावे अप्रार्थी संख्या दो से चार को रास्ता की भूमि का मुआवजा भी नहीं चाहिए। खसरा नबंर 219 के दक्षिणी सीमा में रास्ता घोषित किया जाता है तो अप्रार्थी संख्या दो से चार को कोई आपत्ति नहीं है। वादग्रस्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या दो से चार के खेतों में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है एकमात्र वादग्रस्त रास्ता ही है। खसरा नंबर 211, 216, 217, 218, 219 220 तेजाराम, हीराराम, पीथाराम पिसरान कानाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि रही हैं, जिसका बंटवाड़ा किया हुआ हैं। वादग्रस्त रास्ता तीनो भाईयो के समय से ही विद्यमान हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. दो से चार के खेतो में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता वादग्रस्त रास्ता ही हैं। वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित फरमावें जिसमें अप्रार्थी सं. दो से चार सहमत हैं। अप्रार्थी सं. दो से चार को रास्ता की भूमि का मुआवजा भी नही चाहिए। प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. एक ने ही रास्ता बंद करने की धमकियां दी थी। अप्रार्थी सं. दो से चार वादग्रस्त रास्ता घोषित करवाने हेतु सहमत हैं। वादग्रस्त रास्ता के अलावा मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में घोषित किया जाकर तरमीम किया जावें।

इसी प्रकार अप्रार्थी सं. एक की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मिथ्या, आधारहीन, तथ्यो पर प्रस्तुत किया है जो अस्वीकार है क्योकि मुण्डाणा से कूड़ी काकड़ जाने वाले कटाणी रास्ता के चिपता पश्चिम तरफ अप्रार्थी सं. एक की खातेदारी कब्जा काश्तसुदा जमीन खसरा नम्बर 220 रकबा 6.5853 हैक्टयर आयी हुई हैं। अप्रार्थी सं. एक के खेत खसरा नम्बर 220 के चिपते पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 217, 219, अप्रार्थी सं. दो से चार की खातेदारी कब्जासुद जमीन हैं तथा अप्रार्थीगण सं. दो से चार के खेतो के चिपते पश्चिमी तरफ प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 211, 216, व 218 आयी हुई हैं। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 211, 216, 218 में पश्चिमी तरफ से होकर आते जाते है लेकिन प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. दो से चार के साथ दुर्भिसंधि करके अप्रार्थी सं. एक से खातेदारी कब्जासुद खेत खसरा नम्बर 220 को खुर्द बुर्द करने की बदनियत से पीढियो से चलित रास्ता बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया जो सरासर मिथ्या आधारहीन होने से अस्वीकार हैं। अप्रार्थी सं. एक के खेत में से पीढियो से कदीमी रास्ता बताकर अगर पीढियो से कदीमी रास्ता होता तो प्रार्थीगण सुखाधिकार को लेकर वाद पेश करते लेकिन अप्रार्थीगण सं. दो से चार ने अप्रार्थी सं. एक के खेत मेंसे रास्ता की मांग की तो अप्रार्थी सं. एक ने अपने खेत खसरा नम्बर 220 में से रास्ता की दुगुनी जमीन अप्रार्थी सं. दो से चार ने प्रार्थीगण से दुर्भिसंधि करके यह प्रार्थना पत्र पेश करवाया जबकि प्रार्थीगण के खेतो में खसरा नम्बर 211 में पश्चिमी तरफ से रास्ता चलता है इसलिए प्रार्थीगण के खेतो में पश्चिमी तरफ से वैकल्पिक रास्ता होते हुए प्रार्थीगण पुरब तरफ से होकर अप्रार्थी सं. एक के खेत में से कदीमी पीढियो से चलित रास्ता बताकर उक्त अधिनियम के तहत रास्ता घोषित करवाने के हकदार नही हैं। प्रार्थीगण ने कदीमी रास्ता वादग्रस्त रास्ता बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया हो इस अधिनियम के तहत पोषणीय नही हैं क्योकि उक्त अधिनियम के तहत निकटतम व सुविधाजनक रास्ता की मांग की जा सकती हैं अगर प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं. एक के खेत खसरा नम्बर 220 में से रास्ता घोषणा करवाना चाहता हैं तो अप्रार्थी सं. एक के खेत से जितनी जमीन रास्ता हेतु चाहिए उसकी दुगुनी जमीन अप्रार्थी सं. एक को देते है तो अप्रार्थी सं. एक अपने खेत में से रास्ता देने को तैयार हैं। क्योकि दिनांक 25.03.2022 को अप्रार्थी सं. एक ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की ऐलानिया धमकी नही दी बल्कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. दो से चार ने अप्रार्थीगण सं. एक को उसके खेत से रास्ता के बदले जमीन अप्रार्थी सं. एक को

अधिकारी
ड़ धाहर

नही देने की गरज से मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया जो चलने योग्य नही हैं। अप्रार्थी सं. एक ने प्रार्थीगण को किसी प्रकार की ऐलानिया धमकी नही जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु कोई वाद कारण पैदा नही हुआ जिससे भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के हैं। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 211 में पश्चिमी तरफ से आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजुद हैं। अप्रार्थी सं. एक के खेत खसरा नम्बर 220 में से अप्रार्थी सं. दो से चार को रास्ता चाहिए था जिस पर अप्रार्थी सं. एक ने रास्ता की जमीन के बदले दुगुनी जमीन अप्रार्थी सं. एक को देने पर अप्रार्थी सं. एक रास्ता हेतु जमीन देने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या सारहीन तथ्यो पर आधारित होने एवं इस कानून का दुरूपयोग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया होने से प्रार्थना पत्र खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें।

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं कि वादी के खेत खसरा नम्बर 218, 211, 216 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 220 व 219 बिन्दु A से B एवं B से C के अलावा अन्य कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नही हैं, बिन्दु A से B की लम्बाई 58 गट्टा तथा बिन्दु B से C की लम्बाई 50 गट्टा है। प्रार्थी ने 25 फुट चौड़ा रास्ते C की मांग की हैं। प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 220 का 58 X 3.8 गट्टा = 0.11 बीघा यानि 11 तथा खसरा नम्बर 219 ठ से ब का 50 X 3.8 गट्टा = 0.10 बीघा यानि 10 बिस्वा रकबा बनता है, पटवारी भुण्डाणा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 219, 220 असिचिंत हैं तथा ग्राम भुण्डाणा की DLC 80063 रूपये प्रति हैक्टयर हैं। रास्ते की प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 220 बिन्दु A से B DLC दर की दुगुनी राशि 14236/– रूपये तथा खसरा नम्बर 219 बिन्दु B से C की DLC दर की दुगुनी राशि 12954/– रूपये बनती हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भुण्डाणा की सीमा में खसरा नम्बर 211, 218, 216 में आने जाने हेतु प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 220, 219 में से लाल स्याही से दर्शाये बिन्दु अ से ब दिये जाने रास्ता घोषित फरमाने जाने का निवेदन किया हैं । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 10.02.2023 अनुसार ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 211, 218, 216 दर्ज हैं। ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 211, 218, 216 में आने जाने हेतु उक्त वांछित भूमि खसरा नम्बर 219, 220 उपयुक्त एवं सुलभतम नजदीकी रास्ता हैं। रास्ते की प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 220 बिन्दु A से B DLC दर की दुगुनी राशि 14236/– रूपये तथा खसरा नम्बर 219 बिन्दु B से C की DLC की दुगुनी राशि 12954/– रूपये बनती हैं। जो कुल राशि 27190/– रूपये बनती हैं।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 10.02.2023 अनुसार ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 211, 216, 218 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 220, 219 मेंसे मौका फर्द में दर्शाये बिन्दु सं. ABCD दिया जाना प्रस्तावित है। क्योकि उक्त रास्ता नजदीकतम व सुलभतम रास्ता हैं। इसके अलावा अन्य कोई नजदीकी रास्ता नही हैं।

अतः राजस्व ग्राम भुण्डाणा के खसरा नम्बर 211, 216, 218 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 220, 219 तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट मार्क ABCD रास्ते की भूमि घोषित की जाती हैं। उक्त रास्ते के काम आई भूमि को मालियत की गणना अनुसार वांछित भूमि की डीएलसी दर 80063/– प्रति हैक्टयर हैं। वांछित भूमि खसरा नम्बर 220 के बिन्दु सं. A से B DLC दर की दुगुनी राशि 14236/– रूपये व खसरा नम्बर 219 बिन्दु सं. B से C की DLC दर की दुगुनी राशि 12954/– रूपये बनती हैं जो नियमानुसार कुल राशि 27190/– रूपये बनती हैं। प्रार्थी राशि 27190/– रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थीगण के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावें।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि रास्ते के काम आई भूमि की मालियत की गणना अनुसार राशि 27190/–रूपये का चैक/डी.डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आश्य की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDM)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(कंचन राठौड़)
सहायक कलक्टर (SDM)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर